

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.08.2022 के मद सं0-74/07 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत आवंटित भवनों एवं भूखण्डों पर प्राप्त किये जाने वाले अन्तरण शुल्क में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा केवल प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्डों में 5 प्रतिशत को घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जाना अनुमन्य किया गया है तथा बाकी सभी योजनाओं में अन्तरण शुल्क की दरें यथावत रखी गयी हैं।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न प्रयोजनों में आवंटित परिसम्पत्तियों पर अन्तरण शुल्क की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

क्र0सं0	भू-प्रयोजन	वर्तमान अन्तरण शुल्क की दर (प्रतिशत में)	संचालक मण्डल द्वारा अन्तरण शुल्क की अनुमोदित दर (प्रतिशत में)
1.	प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भवन	प्रचलित आवंटन दर का 5 प्रतिशत 50 वर्गमी0 क्षे0 तक रू0 75 प्रति वर्गमी0 51 से 100 मी0 क्षे0 तक रू0 150 प्रति वर्गमी0 101 से 200 मी0 क्षे0 तक रू0 300 प्रति वर्गमी0 201 मी0 से अधिक क्षे0 पर रू0 500 प्रति वर्गमी0	प्रचलित आवंटन दर का 2.5 प्रतिशत 50 वर्गमी0 क्षे0 तक रू0 75 प्रति वर्गमी0 51 से 100 मी0 क्षे0 तक रू0 150 प्रति वर्गमी0 101 से 200 मी0 क्षे0 तक रू0 300 प्रति वर्गमी0 201 मी0 से अधिक क्षे0 पर रू0 500 प्रति वर्गमी0
2.	प्राधिकरण द्वारा आवंटित वाणिज्यिक दुकान, क्योस्क एवं भूखण्ड (क्रियाशील ईकाईयों हेतु) प्राधिकरण द्वारा आवंटित संस्थागत भूखण्ड (क्रियाशील ईकाईयों हेतु)	प्रचलित आवंटन दर का 10 प्रतिशत प्रचलित आवंटन दर का 5 प्रतिशत	प्रचलित आवंटन दर का 10 प्रतिशत प्रचलित आवंटन दर का 5 प्रतिशत
3.	एल0एफ0डी0/एस0डी0जेड0 आवासीय (भवन/भूखण्ड) एल0एफ0डी0/एस0डी0जेड0 के अन्तर्गत वाणिज्यिक भूखण्ड एवं दुकान	प्रचलित सर्किल दर का 5 प्रतिशत प्रचलित दर एवं वर्तमान सर्किल दर दोनों में जो भी अधिक हो उसका 10 प्रतिशत	प्रचलित सर्किल दर का 5 प्रतिशत प्रचलित दर एवं वर्तमान सर्किल दर दोनों में जो भी अधिक हो उसका 10 प्रतिशत


यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

दूरभाष न0 - 0120 - 2395153, फॅक्स न0 - 0120 - 2395150


	एल0एफ0डी0/एस0डी0जेड0 के अन्तर्गत संस्थागत ईकाई	प्रचलित दर एवं वर्तमान सर्किल दर दोनो में जो भी अधिक हो उसका 10 प्रतिशत	प्रचलित दर एवं वर्तमान सर्किल दर दोनो में जो भी अधिक हो उसका 10 प्रतिशत
4.	प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखण्ड (क्रियाशील ईकाईयों हेतु)	प्रचलित आवंटन दर का 5 प्रतिशत	प्रचलित आवंटन दर का 5 प्रतिशत

उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


(विश्वम्भर शर्मा) 22
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम0/आर0), यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अवलोकनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस0बी0/एस0के0एस0/एम0), को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक (नियोजन/परियोजना) को सूचनार्थ।
5. उप-महाप्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ।
6. समस्त योजना प्रभारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
7. गार्ड फाईल।


महाप्रबन्धक (वित्त)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (3090)
दूरभाष नं० - 0120 - 2395153, फॅक्स नं० - 0120 - 2395150